



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2552233

ई – मेल: apcef-lm.cg@gov.in

क्र/0/भू-प्रबंध/पिद्युत/ 479-151/213
 प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/01/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
 क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट रोन्ड्रल रीजन
 इंस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्ट्रेटरियेट भवन
 VCA के सामने, सिविल लाईन
 नागपुर – 440001

विषय: – **Diversion of Forest Land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for proposed 132/33 KV S/s Sub Station, area 1.800 ha. - regarding.**

संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-I/CH-57/2016-NGP/ 1206 दिनांक 05.01.2017
 2. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 820 दिनांक 19.01.2017

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 14 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

उक्त संदर्भ में बिन्दुवार चाही गई जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
i	Category of the project in the Part-I has been indicated as Transmission line instead of applying the same under other category. The rectification to this effect may be made by the user Agency.	आवेदक संस्थान द्वारा ऑन लाईन प्रस्ताव भाग—I के केटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट में "Transmission Line" के स्थान पर आवश्यक सुधार कर "Other" केटेगरी कर दिया गया है।
ii	Name of signing authority has not been mentioned in Part-II and III of Form-A.	फार्म-A के भाग-II एवं भाग-III में नामांकित हस्ताक्षर कर संलग्न है (प्रदर्श-1 एवं 2)।
iii	Site inspection report submitted along with the proposal does not bear the signature of DCF concerned. The same may be submitted along with the inspection notes of the DCF.	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में हस्ताक्षर कर संलग्न है (प्रदर्श-2)।
iv	Original Part-III and Part-IV has not been submitted along with proposal, State Government needs to submit original Part-II and IV.	प्रस्ताव के भाग-III एवं भाग-IV की मूल प्रति संलग्न है (प्रदर्श-3)
v	Detail pertaining to the total area diverted in the Raigarh Forest Division provided in the online Part-II is inconsistent with the supporting details submitted in hard copy of the proposal. Online proposal indicates total area diverted in the Division as 1587.784 in 4 cases while Part-II submitted to the	फार्म-A के भाग-II के हार्ड कापी के बिन्दु क्रमांक 11 (iii) एवं आनलाईन पोर्टल के भाग II के बिन्दु क्रमांक 14, दोनों में ही रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल व्यापवर्तित क्षेत्र की संख्या 48 एवं रकमा 3198.408 है. दर्शाया गया है। फार्म-A के भाग-II के हार्ड कापी एवं

	<p>Survey has been Conducted by the User Agency. The authorities in the State Forest Department may re-confirm the CA site finalized and corresponding CA scheme submitted along with the proposal.</p>	<p>संलग्न Google Image में आवश्यकतानुरागर सुधार कर संलग्न हैं। (प्रदर्श-5)</p>
x	<p>Copy of the certificate issued by chief Secretary of the state Govt. certifying the non- availability of the non-forest land in the state in accordance with MoEF&CC's guidelines dated 25.08.2014 read with the guidelines dated 11.07.2014 need to be submitted by the state Govt.</p>	<p>गैर यन्मूगी की अनुपलब्धता के संबंध में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमाण पत्र संलग्न है। (प्रदर्श-6)</p>
xi	<p>Similarly KML file pertaining to two sites, one in Raigarh and other in Balrampur District involving the same area of 1.84 ha., have been submitted for establishment of the sub-station (Copy enclosed). The rationale for submitting the KML file of site pertaining to the sub-station involving the same area in Balrampur district may be furnished.</p>	<p>आवेदक संस्थान (री.एस.पी.टी.सी.एल) ने वन प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/Trans/11237/2015 के द्वारा 1.80 हे. वन भूमि रायगढ़ जिले के ग्राम पुटकापुरी (कोडातराई) में 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र के स्थापना हेतु मांग की गई है। जबकि जिला बलरामपुर में इसी आवेदक संस्थान (सी.एस.पी.टी.सी.एल) द्वारा वन प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/Trans/21254/2016 के अंतर्गत 1.84 हे. वन भूमि ग्राम चटकपुर (राजपुर) में 132/33 के. व्ही उपकेन्द्र स्थापना के दूसरे परियोजना हेतु मांग की गई है। चूंकि दोनों परियोजनाएँ 132/33 के. व्ही उपकेन्द्र स्थापना संबंधित एकरूप परियोजना है। अतः परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल लगभग समान है।</p> <p>प्रस्ताव में संलग्न / अपलोडेड के.एम.एल फाईल एवं शेप फाईल 1.80 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि 132/33 के. व्ही उप केन्द्र कोडातराई से संबंधित है।</p>
xii	<p>No justification for locating the project in the forest area has been submitted in the proposal submitted online as well as in the hard copy. A convincing justification supported by the alternative explored by the user agency in light of technical and economic feasibility of the project. From the aforementioned detail provided in the proposal for two sites. It is more likely to be construed as if the user agency has explored site Balrampur District and the same subsequently shifted to revenue forestland in Raigarh district. Comments on the same may be furnished.</p>	<p>Due to development of rural & urban area, agricultural and industrial growth in Raigarh District the electricity demand of these areas increased, accordingly Honorable' Electricity Regulatory Committee (C.G. Govt.) has approved to construct 132/33 KV sub-station at Kodatarai in Raigarh District. At present scenario power supply of Raigarh district Kodatarai & nearby areas is meet out through existing 33 KV, 11 KV lines and 33/11 KV , 11/0.4 KV s/s. The length of existing 33 KV, 11 KV lines are too long hence, these area facing continues low voltage problem , frequent failure of supply & excessive line losses .</p> <p>Since the kodatarai is situated at Load centre of area, thus the proposed project site is selected for construction of 132/33 kV s/s. Further, the proposed land is well leveled ground consisting of good load bearing capacity soil (hard Yellow Sandy</p>

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

FP/CG/TRANS/11237/2015

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

— रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के क्ली. विद्युत उपकेद्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को उपयोग पर देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।

(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	—	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	—	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	—	रायगढ़
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	—	1.800 हेक्टेयर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	—	राजस्व वन
(vi)	हरियाली का धनत्व	—	निरंक
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. –2मी. पर परिणामना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए।निरंक	
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी । भू-क्षरण नहीं होगा ।	
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी । प्रस्तावित स्थल राजस्व वन सीमा के अंदर है ।	
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है । (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए) नहीं है ।	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें । नहीं पाया जाता ।	

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

..... नहीं है।.....

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के व्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।

..... प्रस्तावित राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है।.....

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।

..... नहीं किया गया है प्रमाण पत्र संलग्न है।.....

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा

प्रभावित वनभूमि के बदले दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 हे. प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 9000 साल पौधे का वृक्षारोपण किया जावेगा।

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूसी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।

प्रभावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1235 प्रस्तावित में प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 हे. एक ही भू-खण्ड में किया जावेगा।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये राशि रु. 1964362/-राशि का योजना तैयार किया गया है। राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)

प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)

जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

विभाग/जिला प्रोफाईल

- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
..... नहीं है।.....
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा माग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के व्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।
..... प्रस्तावित राजस्व वन भूमि की मांग न्यूनतम का प्रमाण पत्र संलग्न है।.....
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।
..... नहीं किया गया है प्रमाण पत्र संलग्न है।.....
10. **प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा**
प्रमावित वनभूमि के बदले दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 है। प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 9000 साल पौधे का वृक्षारोपण किया जावेगा।
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या प्रत्येक भू—खण्डों का आकार।
प्रमावित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1235 प्रस्तावित में प्रस्तावित किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 3.600 है। एक ही भू—खण्ड में किया जावेगा।
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि के आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये राशि रु. 1964362/-राशि का योजना तैयार किया गया है। राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता: उपयुक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)
जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
विभाग/जिला प्रोफाईल

- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र 6836.00 वर्ग कि.मी.
- (ii) जिले का वन क्षेत्र 2005.475 वर्ग कि.मी.
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।
..... 48/3198.408 है
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।
..... निरंक
- (ख) बनेतर भूमि पर ।
..... निरंक
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :
रायगढ़ वनमण्डल रायगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत क्षेत्र 3198.408 है, है। जिसके विरुद्ध 1592.130 है, क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया है। शेष क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है।

12. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्थान द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत रागढ़ परिक्षेत्र के ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के व्ही. विद्युत उपकेद्र निर्माण हेतु 1,800 हे, राजस्व वन भूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। अतः प्रस्ताव स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

१.
हस्ताक्षर
नाम विजया वि. कुम
सरकारी सोहर वन मञ्चलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल

दिनांक:- 26.10.2016

स्थान:- Rajgarh

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : CG-037/2016

1. Location of the project/Scheme : Chhattisgarh

- (i) State / Union Territory : Chhattisgarh
- (ii) District : Raigarh
- (iii) Forest Division : Raigarh
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 1.8
- (v) Category : Transmission Line

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Raigarh	1.8	chhote/bade jhar ka jungle

Division 1. ; Raigarh

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Raigarh	1.8

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	1.8	0	Eco 3

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL :

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
						NIL	

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : After Getting Stage I Approval

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : No Chance of Erosion

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.): 7

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : No Data
- Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
- Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Pprotection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9. Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No
 (i).

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :
 Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum
 (i). for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(i). Total Financial Outlay for C.A.(lacs): 1964362

Patch Wise Details					
S.no	Patch No.	Area(ha.)	Name of PF/RF	Range	Compartment No
1	1	3.600	PF	Gharghoda	1235 P

(ii). Copy of CA scheme details:

(iii). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A, prepared by using DGPS or Total Station: [Map](#)

(iv). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: [Map](#)

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
1	Final Section FCA 1980 Projects	
2		Part I
3		suitability of area identified for compensatory afforestation
4	Vegi Map	
5		Bhag I
6		Bhag 2
7		Collector NOC
8		DGPS Report
9		DGPS Report CA
10		Floora & Founa
11		Form IV
12		Gram Panchayat NOC
13		Minimum Land Requarment
14		Project Scheem
15		Undertaking
16		Stock Map CA
17		Vegitation Map CA
18		FRA Certificats
19		Certificats
20		Registration

5.4. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Raigarh	683600.000	217861.300	3198.408	48	0.000	26/09/2016	1504.752	87.378

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report		Date of visit
Raigarh	Bilaspur(CG)	DFO	Yes	One			26/10/2016
	Bilaspur(CG)	CF	No			No Data	
		Nodal Officer	No			No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Raigarh	Bilaspur(CG)	DFO	Recommended	The Proposed Sub Station would low		

	Bilaspur(CG)	CF	Recommended	Recommended	Yes
		Nodal Officer	Recommended		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17. Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V) :

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Chhattisgarh	State Secretary	Recommended	06/12/2016	Recommended	State Govt. Officer	No Data	

Print page

1
वन विभाग
रायगढ़ नक्शा

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम	:	रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत ग्राम पुटकापुरी (कोड़ातराई) में 132/33 के व्ही. विद्युत उपकेद्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़ को उपयोग पर देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित संभाग रायगढ़
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	:	1.800 हे.
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला वनमण्डल परियोजना स्थल रायगढ़ रायगढ़ पुटकापुरी (कोड़ातराई)
5. वन भूमि का विस्तृत विवरण	:	वनखण्ड कक्ष क्र. आवेदित क्षेत्र ^{/खसरा क्र.} क. आरक्षित वन निरंक निरंक निरंक ख. सीमांकित संरक्षित वन निरंक निरंक निरंक योग : _____ 0.000
ग. असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन)	:	निरंक निरंक निरंक
घ. राजस्व वन क्षेत्र	:	राजस्व वन भूमि 133/1 1.800
6. आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	:	राजस्व वन भूमि
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	:	निरंक
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	:	-
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी. /वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे रप्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	:	संबंधित नहीं है।
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान,	:	नहीं है।

अभ्यारण्य, बायोरफेयर रिजव, प्राकृतिक झील/वाटर बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदत करें।

11. आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गयी वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल :— पुटकापुरी (कोडातराई)
दिनांक :— २६.१०.२०१६

१. अन्धा बि.कृ०
मुख्य वन संरक्षक/व.म.आ. के हस्ताक्षर
बिलासपुर वृत्त/रायगढ़ वनमण्डल अधिकारी
मय सील श्रीयगीड़, वनमण्डल

गुरुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रताव
(गारत राज्यकार के राजपत्र अधिरूचना अनुसार)

भाग-३

(रांबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. रथल जहां की दन भूमि शामिल की गई है व्या इराका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है (हैं / नहीं) यदि हैं तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रश्नों को निरीक्षण नोट के रूप में सलग्न करें। रायगढ़ वनमण्डल में राजस्व वन रक्वा 1,800 है, की मांग 132/33 के बीच सब रटेशन के लिए की गई है, जिसका स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।
15. व्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।
16. प्रस्ताव की रवीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित नुख्य वनसंरक्षक की विरुद्ध कारणों के साथ विशेषज्ञानियों से सिफारिशें।

अनुशंसित।

टिक्का - २४/१०/१६

गुरुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर दूत, अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन
बिलासपुर दूता बिलासपुर



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनगूमि प्रत्यावर्तन के प्रताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-४

(गोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को रदीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट शिकाइयों। (राय देते राम्य संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट रागीका की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आदेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता (रिविल) संभाग, छत्तीरागढ़ विद्युत पारेषण कम्पनी गर्या, रायगढ़ (छ.ग.) ग्राम कोडातराई में राजरव वन भूमि रक्कड़ा 1.800 हे. 132/33 कं. व्ही विद्युत सब रसेशन हेतु व्यवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम - 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: १/११/२०१६

स्थान: रायपुर

Attached True copy

वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
रायपुर (छ.ग.)

~23MP
(श्री. एल रारन) १/
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीरागढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीरागढ़, रायपुर

बन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रायगढ़ बनसपड़ल गे रवीकृत प्रकरणों के विलक्षणतिप्रति बनीकरण की जानकारी

८८

बन क्र.	परियोजना का नाम	व्यवहारित रकमा (₹.)	करिपूति बृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र			कृषारोपण पूर्ण अपूर्ण रकमा (₹.)	रियाक	
			परियोजना का नाम	स्थल का नाम	रकमा (₹.)			
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1	उडीसा सीमेन्ट डिस. विराइपानी माइस्ट क्याटाइट उत्खनन	10,000	रायगढ़	794 P	दरेलिया	20,000	749 मी. बरेलिया	20,000 शर्त नहीं है
2	मै उडीसा सीमेन्ट डिस. विराइपानी माइस्ट क्याटाइट उत्खनन	34,600						
3	म.प्र. विद्युत मण्डल 132 के.क्वी.ए. विद्युत लाइन रायगढ़ से पश्चिमांचल	16,355	सारंगढ़	1111	कारसुरगाल	33,000	1111 कारसुरगाल	33,000 शर्त नहीं है
4	जिन्दल स्टील १०८ पावर लिं. रायगढ़ 220 के.क्वी. विद्युत लाइन ग्राम पराशापाली से लिवरा तक	3,000	घरघोड़ा	184	डोलरबुड़ा	3,000	डोलरबुड़ा	3,000 शर्त नहीं है
5	जिन्दल एजुकेशन एवं वेलफेंचर सोसायटी रायगढ़ रुकुल भवन की खापना	1,000	घरघोड़ा	184	डोलरबुड़ा	1,000	डोलरबुड़ा	1,000 शर्त नहीं है
6	नोनोट इस्पात लिमिटेड रायगढ़ अंडरग्राउन्ड कोल नाईन्स	340,673		184				
7	आप्टिकल फाईबर केबल लाइन (ली.एस.एन.एल.)	0.016		184				
8	जिन्दल स्टील १०८ पावर लिं. रायगढ़ ग्राम क्लेसगपली गे.एस. डिस्पोजल खार, केंटिव पावर ल्यांट	4,269	घरघोड़ा	184	डोलरबुड़ा	4,269	डोलरबुड़ा	4,269 शर्त नहीं है
9	जिन्दल स्टील १०८ पावर लिं. रायगढ़ रुकुल ल्यांट का बिस्तार	3,267	घरघोड़ा	184	डोलरबुड़ा	3,267	डोलरबुड़ा	3,267 शर्त नहीं है
10	जिन्दल स्टील १०८ पावर लिं. रायगढ़ 220 के.क्वी. हाई टेंशन लाईन	1,560	घरघोड़ा	184	डोलरबुड़ा	1,560	डोलरबुड़ा	1,560 शर्त नहीं है
11	जायदरवाल निंको चाशा ग्रो.जेन्ट. अंडरग्राउन्ड कोल नाईन्स	419,887						
12	एस.ई.री.एल. बरौद औपन कास्ट कोल माईन्स	19,001	खरसिया	1113	रोन्बरसा	38,002	1113 रोन्बरसा	38,002 शर्त नहीं है
13	जिन्दल स्टील १०८ पावर लिं. रायगढ़ ओपन कास्ट कोल माईन्स	48,208	घरघोड़ा	गैर दन घुग्गी	छोटे घुमड़ा	14,147	छोटे घुमड़ा	14,147 शर्त नहीं है
			घरघोड़ा	गैर दन घुग्गी	भेगारी	18,851	179/1 भेगारी	18,851 शर्त नहीं है
			सारंगढ़	सैर. गन.झूमी	ट्वेरट	15,608	ट्वेरट	15,608 शर्त नहीं है
14	जिन्दल स्टील १०८ पावर लिं. रायगढ़ 1000 नेगावाट अमर यात्र के लिये कुकुकुड़ डेम निर्माण	177,542	घरघोड़ा	1235 P		65,000	टुमीडीओ.ए.	25,750 शर्त नहीं है
			तमनार	864 P		126,000	कार्यालय औ.ए	25,000 शर्त नहीं है
			तमनार	825 P		70,000	823, 824 बगचा	48,000 शर्त नहीं है
			तमनार	825 P		35,000	1029 राहस्यपानी	22,000 शर्त नहीं है
			रायगढ़	896		60,000	1027, 1028 कार्यालय	35,000 शर्त नहीं है

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
							383 पी. गाँगा	50,000	धरमजयगढ़	
						124 पी. हिंडवानरा	50,000	धरमजयगढ़		
					06 आरएफ. घरपटाड	50,000	धरमजयगढ़			
					330 पी. लमड़ाड	40,000	धरमजयगढ़			
					331 पी. गहिरा	10,000	धरमजयगढ़			
15	उक्कीसा सोनेट ति. राजगांगपुर लाईंजाईट उत्कृष्णन	9,800	धरधोडा	155/2	बजारी	10,000	155/2 छोटे गुरुदा	9,800		
16	मिनीमाला बांगो नगर समाग खरसिया नहर निमण	3,989	खरसिया	31/1	बगाइर	3,989	31/1 बगाइर	4,000		
17	मोनेट इस्पात लिमिटेड रायगढ़ 11 के.डी. विधुत लाईंन मिस्ट्रूपरा से ढोगमोहा	1,260	धरधोडा	22/1	बिलासखार	2,520	22/1 बिलासखार	2,520		
18	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि. उद्दना पहाड़ी पर सोलर लाईंट	0.640	रायगढ़	-	-	1,000		1,000		
19	एम.एस.पी. जाम्बाच बांड गेज रेल्वे गाइडिंग	2,023	रायगढ़	गैर कर खुमि	गुरुगापाली	2,023				
20	एसईसी एल. वरौद ओपन कास्ट नाईनिंग	123,899		-	247,798	1291 वरौद (हुलकेरी)	37,000			
						258/1 युस्त्या (विनाशकी)	54,000			
						548 पी. थारसार	74,000			
						24 आरएफ. निषाकालो	38,000			
						554 पी.एफ. हाई	45,000			
21	जिन्दल पावर लि. रायगढ़ 400 के.डी. द्रांसमिशन लाईंग	5,940	तमार	बुडिया	5,940	बुडिया	5,940			
22	जिन्दल पावर लि. 220 के.डी. द्रांसमिशन लाईंग	2,340	धरधोडा	177/1	डोकारबुडा	2,340	177/1 डोकारबुडा	2,340		
23	जिन्दल पावर लि. कोल कन्वेयर लाईंन	1,076	धरधोडा	1230	युस्त्या	1,076	1230 युस्त्या	1,076		
24	220 के.डी. विधुत लाईंन जिन्दल पावर स्टेशन तमनार से सब रस्तेशन रायगढ़ तक, अतिउच्चादाव विधुत मंडल रायगढ़	6,308	-	-	दक्षिण चारपुजा	6,308		6,308		
25	केलो सिंचाई परियोजना	361,901	रायगढ़	-	724,000	1167 पी. गुरुदा	30,000	264,000	स्थल घ्यन प्रक्रिया जारी	
						1315 फारडाग	25,000			
						1295 बाल्धार	25,000			
						1233 छिरोना	25,000			
						1/1 टोनहीपतरा	20,000			
						1273 बरेना (सुहाई)	25,000			
						1242 पी. खुटालेसा	25,000			
						1243 पी. करियाडानरी	25,000			
						1363 पी. करोदरला	50,000			

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
							1064 धी. मारोदरहा	25,000		
							गटुली-1 औ.ए	35,000		
							गटुली-2 औ.ए	35,000		
							1092 धी. पैकिन	50,000		
							1095 धी. झाल	35,000		
							1193 बसनाभर	30,000		
26	विमला इन्का स्ट्रक्चर ग्राम झूपदेवपुर में ऐवरे साइडिंग हटु	0.405	सारंगढ़	75/1	सहस्रपाँ	0.425		0.425		
27	एम.एस.पी. स्टील एवं पावर लिमि. रायगढ़ 132 के.क्सी. द्रासा मिशन लाईन	1.728	रायगढ़	312/4, 312/19	मुखापाली	1.728		1.728		
28	मे. महावीर इनजी 132 के.क्सी. द्रासा मिशन लाईन बैहामुड़ा में कंट्रांडीह	3.321	धरघोड़ा	133, 134	भेगारी	3.321		3.321		
29	छ.ग. स्टेट बोयर हारिंसिंग कार्पॉ. द्वारा गोदान मिनार्ण ग्राम साणडा	0.405	सारंगढ़	OA	सोनबला (द.)	1,000		1,000		
30	रायगढ़ जिले में पहुंच मार्ग बानाने एवं पाईप लाईन बिछाने हेतु	0.098	तमनार	25	उजलपुर	0.196		0.196		
31	ठिंडन यावर लि. तमनार अंड ग्राउण्ड पाईप लाईन 1260 में.वा. पावर लाई.	1.517	धरघोड़ा	डोकरपुरा	1,517			1,517		
32	मे. हापड़ इनजी 132 के.क्सी. द्रासा मिशन लाईन	2,713	रायगढ़	1028 OA		5,426		5,426		
33	ने. सिंधन इंटर प्राइवेट फालि. तराईगाल, बजारी नाला से संयुक्त तक पाईप लाईन	0.350	तमनार	797 OA	झुड़पहाड़	0.700		0.700		
34	मे. श्याम स्पात प्राइल. कोल बेरस्ड 25 मी.वा. विद्युत संयुक्त	0.860	तमनार	797 OA	झुड़पहाड़	1,720		1,720		
35	कोर्का ऐस्ट का.सि. 2X600 MW कोल बेरस्ड थम्नल पावल लाई	24,352	रायगढ़	1019		20,704		20,704		
36	मे. सालासर स्टील एण्ड पावर लिमि. ग्राम शिवपुरी स्थित गोरखानी नाला में पाईप लाईन बिछाने हेतु	0.133	तमनार	745 P		0.266		0.266		
37	नालापा स्टील एण्ड पावर लिमि. बजारी नाला में इटकबेल पाईप लाईन निर्माण	0.024	तमनार	797 OA	झुड़पहाड़	0.048		0.048		
38	जायसराल निको लिमि. गारे पेलागा सब्लाक IV/8 कोल मर्टरिंग (56.905 हे.ओपन)	224,220	तमनार	852 OA		9,000		9,000	56.905 हे. खुली खदान क्षेत्र के दुपुने बिल्डे का क्षेत्र 113.810 हे. में प्रस्तावित	
39	पावरप्रिड कार्पोरेशन इडिया लिमि. 765 के.क्सी. द्रासा मिशन लाईन रायगढ़ पुलिंग स्टेशन से तमनार	25,505	रायगढ़	1337 P		51.010		85,440	85,440	
40	नेससे पावर रिड कार्पोरेशन रायगढ़, कोरवा एवं धरमजग्याह चानपान्डल में 765 हे.क्सी. विवरणीय पुलिंग स्टेशन एवं संचयन पथ	130,792	रायगढ़	1129		46,190		46,190	46,190	

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		धरयोजा	1243 P		25,000				25,000	
		धरयोजा	1220 P		25,000				25,000	
		धरयोजा	1226 P		40,000				40,000	
41	मंसरे गोवा इलेक्ट्रीज डेवलपमेंट काम्पारेशन गारे पेलमा सेक्टर-३ कोल ब्लॉक	197,727	सारंगड	OA	अमलीपाती	25,000			25,000	
			सारंगड	1036 P		30,000			30,000	
			सारंगड	1033 P		25,000			25,000	
			सारंगड	OA	रोडिका	25,000			25,000	
			सारंगड	OA	केडार	25,000			25,000	
			सारंगड	OA	धोरादरहा	10,000			10,000	
			सारंगड	1082		50,000			50,000	
			सारंगड	1087		50,000			50,000	
			सारंगड	OA	अमलीपाती	30,000			30,000	
			सारंगड	OA	दमदामा	30,000			30,000	
			सारंगड	1116		50,000			50,000	
			सारंगड	1090		50,000			50,000	
42	ने. गावर पिंड 765/400 के.चौ. सब रटेशन ख्यादना ग्राम भेटा	0.599	तमनार	745 P	छुड़िया	1,200			1,200	
43	एन.टी.पी.सी. लारा 5X800 MW सुपर थर्मल प्लांट प्रोजेक्ट	151,762	सारंगड	1089		100,000			100,000	
			सारंगड	1075		50,000			50,000	
			सारंगड	1065		35,000			35,000	
			सारंगड	1065		20,000			20,000	
			सारंगड	1086		100,000			100,000	
44	एन.टी.पी.सी. तताईपाली कोल माइनिंग एवं रेले लाईन	766,393	खरसिया	1193		50,000	1,227 PF	50,000		
			खरसिया	1187		30,000	1,229 PF	30,000		
			खरसिया	1187		20,000	1,229 PF	20,000		
			खरसिया	1188		50,000	1,192 RF	50,000		
			खरसिया	1136		100,000	1,127 PF	100,000		
			खरसिया	1147		100,000	1,136 PF	100,000		
			सारंगड	1093 P		125,000			125,000	

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
		सारंगड	1097		100,000			100,000		
		सारंगड	1094		34,000			34,000		
		सारंगड	1081		125,000			125,000		
		सारंगड	1079		100,000			100,000		
		सारंगड	1064		125,000			125,000		
		सारंगड	1078		63,000			63,000		
		सारंगड	1038		125,000			125,000		
		सारंगड	1039		125,000			125,000		
		सारंगड	1040		125,000			125,000		
		सारंगड	1041		125,000			125,000		
45	जिल रसील एण्ड पावर लि. परसरपाली में पूर्ण में स्थापित संचय का वित्तारोक्तण	30,620	सारंगड	गेर चन मुसि	पूरेनपाली (अ)	6,718		6,718		
			सारंगड	गेर चन मुसि	पूरेनपाली (ब)	8,736		8,736		
			सारंगड	गेर चन मुसि	मुगियाठीह (अ)	3,650		3,650		
			सारंगड	गेर चन मुसि	मुगियाठीह (ब)	9,010		9,010		
			सारंगड	गेर चन मुसि	मुगियाठीह (स)	3,824		3,824		
46	छ.ग. ईस्ट रेल कॉरिडोर	19,850	तमनार	751		14,000		14,000		
			तमनार	731		16,000		16,000		
			तमनार	850		44,000		44,000		
			तमनार	861		29,000		29,000		
			तमनार	855		50,000		50,000		
47	गेरसी एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड 1200 मे.वा. थमल पावर खाद	12,938	सारंगड	गेर चन मुसि	खेरट	8,900		8,900		
				गेर चन मुसि	कवरपुङ्गा	4,050		4,050		
48	टी.आर.एन. इन्हर्सि लिमि. भैमारी नवापारा (टेंडर) से तमनार सब रेशन संचरण पथ निर्माण	3,542	धरधोडा	1238 OA	हडे गुगडा	7,100		7,100		
	योग :-	3198,408				4349,947		1592,130	2757,580	

वनमाला प्रिकारी

रायगढ़ वनमाला प्रिकारी

प्रपत्र - 4

आवेदन पत्र (नियम - 4)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भू-सतह उपयोग हेतु वन भूमि के लिये राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की धारा - 2 के अंतर्गत मंजूरी / स्वीकृति लेने का प्रारूप।

1	परियोजना का व्यौरा		
i	उन प्रस्ताव तथा परियोजना स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।	ग्राम पुटकापुरी वन परिक्षेत्र रायगढ़ पटवारी हल्का न. 16 खसरा न. 133/1, रकबा 1.800 है। राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) में ४०ग० राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित रायगढ़, जिला-रायगढ़ द्वारा १३२/३३ के ढंगी उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है।	
ii	आपेक्षित वन क्षेत्र निकटवर्ती वन की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार व्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना है, जो उप वन संरक्षक रैंक से नीचे न हो)	संलग्न है।	
iii	परियोजना की कुल लागत	14.01 रु. (करोड़ में)	
iv	परियोजना का वन क्षेत्र में लगने का औचित्य तथा इस क्षेत्र के लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको देते हुये और उनको नामंजूर करने का कारण बतायें	इस उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि जो कि राजस्व वन भूमि है, के अलावा कोई भी अन्य भूमि जिले में उपलब्ध नहीं है तथा यह भूमि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुँच मार्ग की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। अतः इस भूमि को ही अंतिम रूप से चयनित किया गया है।	
v	वित्तीय और सामाजिक लाभ	इस उपकेन्द्र के निर्माण से रायगढ़ के कोडातराई क्षेत्र में निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई की जा सकेगी।	
vi	कुल लाभान्वित आबादी	लगभग 10,00,000	
vii	सृजित रोजगार	उपकेन्द्र के निर्माण के दौरान अस्थाई रूप से करीब 5500 कार्य दिवस का रोजगार उत्पन्न होगा एवं उपकेन्द्र के निर्माण के पश्चात् स्थाई कार्य हेतु 10 स्थाई रोजगार सृजित होगा।	
2	परियोजना का स्थान		
i	राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश	छत्तीसगढ़	
ii	जिला	रायगढ़	
iii	वन विभाग	वनमण्डल जिला-रायगढ़, परिक्षेत्र -रायगढ़	
iv	कम्पार्टमेंट	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा हेठले आवेदित रकबा हेठले
		नियंत्रक	
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि का मदवार व्यौरा :-	निजी भूमि हेठले	शासकीय भूमि हेठले
		0	1.800
4	शामिल वन भूमि का व्यौरा	राजस्व वन भूमि छोटेझाड़ का जंगल, तहसील	
i	वन का वैधानिक स्थित नाम		

	(आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत)	पुसौर, जिला – रायगढ़
ii	क्षेत्र में मौजुदा वनस्पति जाति और प्रजाति का ब्यौरा	प्रस्तावित भूमि पर कोई वृक्ष नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता	शून्य
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा व्यास श्रेणीवार	प्रस्तावित भूमि पर कोई वृक्ष नहीं है।
v	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है या नहीं	नहीं है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य प्रकोष्ठ, आरक्षित जीव मण्डल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा है यदि हां तो उसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें।	राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य प्रकोष्ठ, आरक्षित जीव मण्डल रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिये आरक्षित वन भूमि का मदवार ब्यौरा	राजस्व वन भूमि 1.800 हे.
viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली जाने वाली दुर्लभ, संकटपन वन जातियों व प्राणी जगत की प्रजातियां।	इस क्षेत्र में दृष्टीगोचर नहीं हुई हैं।
ix	क्या प्रवासी जन्तुओं के लिये एक वास स्थल है या उसके लिये प्रभाग भूमि भाग है।	ऐसा प्रतीत नहीं होता है।
x	प्रस्ताव में दर्शित क्षेत्र का कोई अन्य महत्व।	नहीं हैं।
5	परियोजना के कारण विस्थापित वयक्तियों का बयोरा	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	नहीं हैं।
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की संख्या	नहीं हैं।
iii	विस्तृत पुनर्वास योजना	नहीं हैं।
6	क्षतिपूरक पुनर्वास योजना	
i	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र, अभिनित वन क्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार	कॉम्पार्टमेंट 1235P कुल क्षेत्रफल 307.258 हेक्ट. वनमण्डल रायगढ़, वन परिक्षेत्र घरधोड़ा में से '1 पेंच(भाग) जो कि 3.6 हेक्ट. प्रस्तावित अभिनित वन क्षेत्र के आस-पास अन्य वन भूमि रिथत है।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त गैर वन/अतिक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सामाजिकों को दर्शने वाला मानवित्र	इस कॉम्पार्टमेंट का स्टॉक भेप संलग्न है।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियां, कार्यान्वयन एजेंसी, समय सूचि, लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	10 वर्ष की क्षतिपूर्ति वन रोपण प्राकलन संलग्न है।
iv	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	रुपये 19,64,362/-
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र कि उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र	उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।
vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये बनेतर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र (यदि लागू है)	मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र संलग्न है।

7	परिषण लाईन के बारे में व्यौरा केवल परिलक्षण लाईन प्रस्तावों के लिये	लागू नहीं है
8	सिंचाई/जल विद्युत परियोजना हेतु	लागू नहीं है
9	सड़क/रेल लाईन के बारे में व्यौरा	
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई चौड़ाई	लागू नहीं है
ii	सड़क की कुल लम्बाई	लागू नहीं है
iii	पहले बनाई जा चुकी सड़क की लम्बाई	लागू नहीं है
iv	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़क की लम्बाई	लागू नहीं है
10	खनन प्रस्ताव के बारे में	
i	कुल खनि पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	लागू नहीं है।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	नहीं हैं।
iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	नहीं हैं।
iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	नहीं हैं।
v	खनन कार्य का किस खुली खदान/भूमिगत	नहीं हैं।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना	नहीं हैं।
vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका ढलान	नहीं हैं।
vii	पट्टा संलग्न की प्रति संलग्न किया जाये	नहीं हैं।
i	केवल नदिनीकरण हेतु	
ix	नियुक्त किये जाने वाले श्रमिकों की संख्या	नहीं हैं।
x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल	नहीं हैं।
a	खनन	नहीं हैं।
b	खनिज/कच्चे धातु भण्डार	नहीं हैं।
c	आधिगार का जमा करना	नियमानुसार
d	ओजारों और मशिनों का भण्डार	नहीं हैं।
e	भवनों, विजली घरों, कार्यशालाओं, आदि का निर्माण	नहीं हैं।
f	शहर/आवासों कालोनीयां	नहीं हैं।
g	सड़क/राजमार्ग/रेलवे लाईन का निर्माण	नहीं हैं।
h	अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि का सदुपयोग योजना	नहीं हैं।
xi	परियोजना से प्रभावित ऊपर (क से ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वन भूमि मांग की गई है, उनकी वन क्षेत्र के बाहर न किये जाने के क्षय कागरण है।	नहीं हैं।
xii	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्मिलित क्षति और प्रभावित होने वाली वृक्षों की संख्या	नहीं हैं।
xiii	बारहमासीय नदियों, मार्गों, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारणों और जीव मण्डल	नहीं हैं।

	रिजर्वों से खनन क्षेत्र की दूरी	
xiv	पुनः प्रयोग के लिये उपरीमुद्रा के भण्डारण की प्रक्रिया	नहीं हैं।
xv	भूमि का खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा, जल और वन तथा अन्य वनरपतियों पर उसका प्रभाव	नहीं हैं।
11	लागत लाभ विश्लेषण	लागु नहीं है।
12	क्या पर्यावरण स्थीकृती अपेक्षित है, हाँ/नहीं यदि हाँ तो क्या उसके लिये अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दिये गये हैं हाँ/नहीं	लागु नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है, हाँ/नहीं यदि हाँ तो	अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।
i	शुरू होने के तारीख सहित उसके ब्यौरे	-
ii	अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी	-
iii	गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ की गई/जा रही कार्यवाही	-
iv	क्या अभी भी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है	-
14	कोई अन्य सूचना	-
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	ब्यौरा सूची संलग्न है।
16	गिरन्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष के विरत्तुत विचार अर्थात् -	
i	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादन	नहीं है।
ii	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति पर आत्मनिर्मार है	नहीं है।
iii	परियोजना के कारण निम्न व्यवस्थाओं पर असर	
	1. ग्रामीण आवादी के लिये जलाने की लकड़ी की अर्थ व्यवस्था और जीविका पर	कोई प्रभाव नहीं होगा।
	2. आदिवासीयों और पिछड़े समुदायों की अर्थ व्यवस्था और जीविका पर	कोई प्रभाव नहीं होगा।
iv	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष के विशिष्ट सिफारिश	राष्ट्रीयीत में विद्युत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परियोजना स्थीकृति की अनुशंसा की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित उद्देश्य के लिये राजस्व वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

Akrom

(पी.एस. नेताम)
कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग
छ. रा. वि. पारे. क. मर्या. रायगढ़ (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़ द्वारा रायगढ़ वनमण्डल के रायगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुटकापुरी मे प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वनभूमि के वयपर्वतन हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण का प्रस्ताव

स्थल का नाम	:	घरघोड़ा
कक्ष क्रमांक	:	1235 संरक्षित वन
कुल रकबा	:	307.258 हे.
रकबा	:	3.600 हे.
परियोजना अवधि	:	2016-17 से 2025-26
परियोजना लागत	:	रु. 1964362.00

वन परिक्षेत्र घरघोड़ा , रायगढ़ वन मण्डल
जिला रायगढ़ ७०८०

परियोजना प्रतिवेदन

कार्य का नाम	:- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण
कक्ष क्रमांक	:- 1235 पी.
कुल रकबा	:- 307.258 हे.
प्रस्तावित रकबा	:- 3.600 हे.
स्थल का नाम	:- घरघोड़ा
वन प्रबंधन समिति	:- कट्टीसगढ़
परिसर का नाम	:- घरघोड़ा
प.स.वृत्त का नाम	:- घरघोड़ा
परिक्षेत्र का नाम	:- घरघोड़ा
विकासखण्ड का नाम	:- घरघोड़ा
उप नमण्डल का नाम	:- घरघोड़ा
वनमण्डल का नाम	:- रायगढ़
परियोजना अवधि	:- 2016-17 से 2025-26
परियोजना का लागत	:- 1964362.00
परियोजना का नाम	:- कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुटकापुरी मे प्रस्तावित 132 / 33 के छी. उपकेन्द्र निर्माण हेतु 1.800 हे. राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण अंतर्गत सिंचित वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित है।

प्राक्कलन
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सिंचित)

(1) स्थल का नाम	— घरघोड़ा
(2) कक्ष क्रमांक	— 1235 पी
(3) कुल रकबा	— 3.600 हे.
(4) वन मण्डल का नाम	— रायगढ़ (छ.ग.)
(5) वन परिक्षेत्र	— घरघोड़ा
(6) मजदूरी दर रु./दिन)	दर — 234.88 मा.दि.

(प्रथम वर्ष 2016–17)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य उपचार मानचित्र तैयार करना।	3.600	हे.	1.10	3.96	930.00
2	20 सेमी. गोलाई तक के अनुपयोगी बाधक झाड़ियों का कटाई एवं सफाई एवं आडे तिरछे कॉपिस प्रजाति के अग्रिम पौधे एवं ढूठ की कटाई, ड्रेसिंग, सफाई, एवं एकलीकरण विरल जड़ भण्डारण वाला क्षेत्र	3.600	हे.	5.00	18.00	4228.00
3	स्टेकिंग कार्य—पौधे लगाने के स्थल को चिन्हांकित करना, खूंटी बनवाई लगवाई 2x2 मी.	9000	प्र.हजार	2.75	24.75	5813.00
4	कड़ी मिट्टी पौध गढ़ा खुदाई ड्रेसिंग सहित गढ़दे का साईज मी मे 0.30x0.30.0.30 मी.	9000	नग	3.00	270.00	63417.60
5	बारबेड वायर फेंसिंग					
	1. बारबेड वायर फेंसिंग	146	नग	195		28470.00
	2. कांटातार क्रय	191	कि.ग्रा.	70		13400.48
	3. पोल फिक्सिंग हेतु गड़ा खुदाई 30x30x30 सेमी. पोल फिक्सिंग CC 1:3:6 MM Metal के साथ बारबेल वायर से फेंसिंग सम्पूर्ण कार्य (मजदूरी मात्र)	398	र.मी.	0.25	99.55	23382.30
	4. पोल फिक्सिंग हेतु सामग्री व्यय	4.672	घ.मी.	2140.5		10000.42
6	रोपणी व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के साथ	9900	नग	9.00		89100.00

कं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./इ.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
7	पौधा परिवहन एवं पौधों को गड्ढों के पास ले जाकर रखना	9900	नग	3.00		29700.00
8	रोपण कार्य	9000	सै. पौधा	1.65	148.50	34879.68
9	खाद/कीटनाशक क्रय					
	फोरेट 10 ग्राम प्रति	90	कि.ग्रा.	95		8550.00
	सुपर फास्फेट 50 ग्राम प्रति	450	कि.ग्रा.	7.7		3465.00
	यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय	450	कि.ग्रा.	7.7		3465.00
	वर्मी कम्पोस्ट 200 ग्राम प्रति पौधा	1800	कि.ग्रा.	7.7		13860.00
	कीटनाशक क्रय			LS		140000.00
10	निंदाई कार्य :— प्रथम निंदाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक छिड़काव के साथ	9000	सै. पौधा	1.6	144.00	33822.72
11	सुरक्षा व्यय 01 अभिक	12	माह	6107		73284.00
13	सिंचाई व्यय			LS		40000.00
14	सिंचाई व्यवस्था			LS		130000.00
15	अन्य व्यय (रख—रखाव, पाईप का मरम्मत एवं पंप हाउस का निर्माण)			LS		173264.00
				Total	923032.20	
				प्रति हे. व्यय	256398.00	

(द्वितीय वर्ष 2017–18)

कं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./इ.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम निंदाई – 1 मी के व्यास में मृत्यारोपण सहित	9000.000	सै.पौधा	1.10	99.00	23253.12
2	द्वितीय निंदाई – 1 मी. चौड़ी पट्टी में मृत्यारोपण सहित	9000.000	सै.पौधा	1.20	108.00	25367.04
3	तृतीय निंदाई – 1 मी. चौड़ी पट्टी में मृत्यारोपण सहित	9000.000	सै.पौधा	1.10	99.00	23253.12

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./इ.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
4	निंदाई के समय उर्वरक डालना एवं कीटनाक दवा का छिड़काव रोपण एवं निंदाई के समय पौधों का देने हेतु गोबर खाद, नीम खली एवं रासायनिक उर्वरक। दो बार क्रय सहित				LS	20000.00
5	सुरक्षा व्यय 01 श्रमिक				LS	45000.00
6	सिंचाई 06 माह				LS	30000.00
7	अन्य व्यय (रख रखाव, पाईप का मरम्मत एवं पंप हाउस मरम्मत आदि।)				LS	26026.00
					Total	192899.28
					प्रति हे. व्यय	53583.00

(तृतीय वर्ष 2018-19)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./इ.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		45000.00
2	सिंचाई 6 माह बिजली बील सहित			LS		30000.00
6	अन्य व्यय			LS		19086.00
					Total	94086.00
					प्रति हे. व्यय	26135.00

(चतुर्थ वर्ष 2019-20)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./इ.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		45000.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
2	सिंचाई 6 माह बिजली बील सहित			LS		30000.00
6	अन्य व्यय			LS		3408.00
				Total	78408.00	
				प्रति हे. व्यय	21780.00	

(पंचम वर्ष 2020-21)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		46674.00
				Total	46674.00	
				प्रति हे. व्यय	12965.00	

(षष्ठम वर्ष 2021-22)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1	एकलीकरण कार्य	3.6	हे.	3.3	11.88	2790.37
2	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		46904.00
				Total	49694.37	
				प्रति हे. व्यय	13804.00	

(सप्तम वर्ष 2022-23)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
2	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		46674.00
				Total	46674.00	
				प्रति हे. व्यय	12965.00	

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7

(अष्टम वर्ष 2023-24)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
2	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		46674.00
					Total	46674.00
					प्रति हे. व्यय	12965.00

(नवम वर्ष 2024-25)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
2	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		46674.00
					Total	46674.00
					प्रति हे. व्यय	12965.00

(दशम वर्ष 2025-26)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7
2	सुरक्षा व्यय श्रमिक			LS		46674.00
					Total	46674.00
					प्रति हे. व्यय	12965.00

फॉर्म	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर/मा.दि. /रु./ई.	कुल मा.दि.	राशि रु. में
1	2	3	4	5	6	7

गोशवारा

3.600 हे कट.

फॉर्म	वर्ष	राशि	रकबा हे.	व्यय प्रति हेक्टर
1	(प्रथम वर्ष 2016–17)	923032.20	3.600	256398.00
2	(द्वितीय वर्ष 2017–18)	192899.28	3.600	53583.00
3	(तृतीय वर्ष 2018–19)	94086.00	3.600	26135.00
4	(चतुर्थ वर्ष 2019–20)	78408.00	3.600	21780.00
5	(पंचम वर्ष 2020–21)	46674.00	3.600	12965.00
6	(षष्ठम वर्ष 2021–22)	49694.37	3.600	13804.00
7	(सप्तम वर्ष 2022–23)	46674.00	3.600	12965.00
8	(अष्टम वर्ष 2023–24)	46674.00	3.600	12965.00
9	(नवम वर्ष 2024–25)	46674.00	3.600	12965.00
10	(दशम वर्ष 2025–26)	46674.00	3.600	12965.00
	योग :-	1571490		436525.00
11	आकर्षिक व्यय 10%	157149	3.600	43652
12	आस्थामूलक व्यय 10%	157149	3.600	43652
13	अनुरांधान एवं विकास व्याज 5%	78574	3.600	21826
	योग :-	392872		109130
	महायोग :-	1964362		545655
	या	1964362.00		545655.00

वन मण्डलाधिकारी
रायगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
घरघोड़ा उप वनमण्डल

वन परिषद अधिकारी
घरघोड़ा

प्रगाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण का खेत्र मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तुसार जानकारी सही पायी गई है, क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों एवं वृक्षा रोपण के योग्य है।

(आर.पी. मालाकर)

वन परिक्षेत्राधिकारी

घरधोड़ा

(बी.एस. सरोटे)

उपवनमण्डलाधिकारी

घरधोड़ा उप वनमण्डल


अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।

(विजया विलास कुर्दे)

वन मण्डलाधिकारी

रायगढ़ वन मण्डल रायगढ़

2. SURVEY SITE

SURVEY SITE
DISTRICT BARABAR
CHHATTISGARH

SL.NO.	Component No.	SURVEY AREA (in Hect.)
1	1235 P	5.60 in Hect


SURVEY POINTS IN TABLE

SL.	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE
1.	22°19'40.000"N	83°19'44.000"E	22.1654000	83.3272400	22.1653300
2.	22°19'44.000"N	83°19'48.000"E	22.1654000	83.3272800	22.1653600
3.	22°19'48.000"N	83°19'52.000"E	22.1654000	83.3273200	22.1653900
4.	22°19'52.000"N	83°19'36.000"E	22.1654000	83.3272400	22.1653600
5.	22°19'56.000"N	83°19'40.000"E	22.1654000	83.3272000	22.1653600
6.	22°19'40.000"N	83°19'44.000"E	22.1654000	83.3272400	22.1653600
7.	22°19'44.000"N	83°19'48.000"E	22.1654000	83.3272800	22.1653600

अधिकारी सहायक
प्रबोध

4. SURVEY POINTS

DISTANCE FROM BASE STATION TO ROVER
DISTRICT RAIGARH
CHHATTISGARH




QWIP
पर्यावरण संवर्धन
धर्मोदय

83 19'0"E

83 20'0"E


उपचार मानविक :-



Division : Raigarh
 Range : Gherghoda
 Scale : 1 : 15,000

Stock Map by
 Comp. No. : 1235P

परिवर्तन सहायता
 घरबोढ़ा



Division : Raigarh

Range : Gherghoda

Scale : 1 : 15,000

पर्यावरण संवर्धन
धर्मदेशStock Map by
Comp. No. : 1235P

3. GOOGLE SUPERIMPOSE



Ahmed
Executive Engineer (CMB-Train²)
Division, C.S.P.T.C.L. Raigarh

569-6

34

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Mahanadi Bhawan, Mantralaya,
Naya Raipur

04 OCT 2016

No F 4-29/2016/7-3

Raipur, Dated Oct, 2016

Sub: Certificate of Non-availability of Land for Compensatory Afforestation.

I Vivek Dhand, Chief Secretary Chhattisgarh do hereby certify that:


- (1) Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, *zudpi jungle*, *chhote jhar ka jungle*, *bade jhar ka jungle*, *jungle-jhari land*, *civil-soyam lands* and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, available in each district of Chhattisgarh have been examined; and
- (2) I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy myself for issue of this certificate.

On the basis of examination of all relevant records and such further enquiry, as was required for issue of this Certificate, I do hereby certify that non-forest land, revenue lands, *zudpi jungle*, *chhote jhar ka jungle*, *bade jhar ka jungle*, *jungle-jhari land*, *civil-soyam lands* and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government may be for forest purpose, is not available in the entire Chhattisgarh.

- (3) This certificate is being issued for the following project:-

S.No.	Name of Scheme	Name of District	Affected forest land in Hectares
1.	132/33 K.V. Sub-Station	Raigarh	1.80 One Point Eight Zero

Issued under my hand and seal on this 04 day of Oct, 2016.



 (Vivek Dhand)
 Chief Secretary
 Government of Chhattisgarh

Justification for the Project

Due to development of rural & urban area, agricultural and industrial growth in Raigarh District the electricity demand of these areas increased, accordingly Honorable' Electricity Regulatory Committee (C.G. Govt.) has approved to construct 132/33 KV sub-station at Kodatarai in Raigarh District. At present scenario power supply of Raigarh district Kodatarai & nearby areas is meet out through existing 33 KV, 11 KV lines and 33/11 KV, 11/0.4 KV s/s. The length of existing 33 KV, 11 KV lines are too long hence, these area facing continues low voltage problem , frequent failure of supply & excessive line losses .

Since the kodatarai is situated at Load centre of area, thus the proposed project site is selected for construction of 132/33 kV s/s. Further, the proposed land is well leveled ground consisting of good load bearing capacity soil (hard Yellow Sandy soil) and has no water body in nearby area, reducing the risk of water logging , well connected to the main road. The proposed land is situated very far from any near by RF/PF. For feeding 132 KV electric supply to this s/s in the route of 132 KV transmission line no forest land is encountered.

In view of above constrain the proposed land for construction of 132/33 KV s/s is technically most suitable and feasible and fulfill all technical and economical criteria for the project.


 P.S. Netam
 Executive Engineer(civil) Dn.
 C.S.P.T.C.L, Raigarh



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 103
प्रति,

/भू.अ.लि./2017

रायगढ़ दिनांक 19 / 01 / 2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.सा.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत राजस्व वन भूमि (छोटे-बड़े झाड़ का जंगल) के व्यपवर्तन हेतु Non linear प्रकरण के लिए फार्म-2 में जानकारी भेजने बाबत।

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़ का आवेदन पत्र क्रमांक/कार्यालय/राय/कार्य/1697/रायगढ़ दिनांक 17.01.2017

— 00 —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार कार्यालय कार्यपालन अधियंता (रिविल-पारेषण) संभाग, रायगढ़ द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर में छ.ग. शासन द्वारा उक्त प्रस्तावित 132 के बीच उपकेन्द्र के निर्माण हेतु खसरा नं. 133/1 से 1.8 हेक्ट. भूमि की स्वीकृति के लिये प्रकरण प्रेषित किये जाने के फलस्वरूप MoEF के क्षेत्रीय मंत्रालय के कंडिका क्र. (i) से (xiv) तक प्रश्नांकित हैं, जिसके अनुसार कंडिका क्रमांक (xiii) में जिला कलेक्टर से FRA का मूल सार्टिफिकेट (Form-2 Non Linear Project) MoEF & CC's के गाइड लाइंस के आधार पर चाही गई है।

अतः उपरोक्तानुसार रायगढ़ जिले के ग्राम पुटकापुरी (कोडातराई) तहसील पुसौर में प्रस्तावित 132 के बीच उपकेन्द्र निर्माण हेतु 1.8 हेक्ट. राजस्व वन भूमि के Non Linear प्रकरण के लिए फार्म-2 तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर भेजी जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक / 103 A

/भू.अ.लि./2017

रायगढ़ दिनांक 19 / 01 / 2017

प्रतिलिपि:-

1. सविव, छ.ग. शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ वन मण्डल रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायगढ़ को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग)

FORM-II

(for Project other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District Collector Raigarh

No 103

Dated 19-01-2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that **1.8** Hectares of Revenue forest land proposed to be diverted in favour of **Chhattisgarh State power Transmission Company Limited Raigarh (CSPTCL)** for **132/33 KV Substation** in Raigarh district falls within jurisdiction of **Putkapuri (Kodatarai)** village (s) in **Pusore** tehsils

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.80** hectares of Revenue forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Putkapuri** village (s) is enclosed.
- (d) The discussion and decision on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above



(Alarmedmangai D)
District Collector Raigarh (C.G.)